"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2014—श्रावण 29, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–11/2014/18.– राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 22–07–2014 के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम, धमतरी के गठन के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर, धमतरी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1–11/2014/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–11/2014/18 दिनांक 19–08–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 19th August 2014

NOTIFICATION

No F 1-11/2014/18.– In exercise of the powers conferred by section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Notification published in Chhattisgarh Rajpatra (extra ordinary) dated 22-07-2014, to constitute Municipal Corporation Dhamtari. The state government hereby appoints Collector Dhamtari as Administrator of Municipal Corporation Dhamtari with immediate effect under section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–11/2014/18.– राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 22–07–2014 के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम, बीरगांव के गठन के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1–11/2014/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–11/2014/18 दिनांक 19–08–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 19th August 2014

NOTIFICATION

No F 1-11/2014/18.– In exercise of the powers conferred by section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Notification published in Chhattisgarh Rajpatra (extra ordinary) dated 22-07-2014, to constitute Municipal Corporation Birgaon. The state government hereby appoints Collector Raipur as Administrator of Municipal Corporation Birgaon with immediate effect under section 5 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.